आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Punjab Building and Other Construction Workers Welfare Board (Department of Labour, Punjab)

Stipend Scheme for the Children of Registered Construction Workers (Punjab BOCW Board)

पंजाब निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड अपने पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 1 से कॉलेज, मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों तक हर साल वजीफा देता है।

क्या मिल सकता है

कक्षा के हिसाब से बढ़ने वाला सालाना वजीफा। कक्षा 1 से 5 में लड़कों को 3,000 रुपये और लड़कियों को 4,000 रुपये, कक्षा 9 और 10 में 10,000 और 13,000 रुपये, तथा कक्षा 11 और 12 में 20,000 और 25,000 रुपये मिलते हैं। कॉलेज, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के छात्रों को 25,000 रुपये (लड़के) या 30,000 रुपये (लड़कियां), और मेडिकल या इंजीनियरिंग के छात्रों को 40,000 या 50,000 रुपये मिलते हैं। हॉस्टल में रहने वालों को अधिक राशि मिलती है, और बोर्ड ने सीमा 3,000 से 70,000 रुपये सालाना बताई है।

किसके लिए है

पंजाब बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे, जो कक्षा 1 से डिग्री स्तर तक के पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे हैं।

मुख्य शर्तें

- केवल बोर्ड के पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों के बच्चे ही पात्र हैं।
- पंजीकृत श्रमिक स्वयं मान्य संस्थान या विश्वविद्यालय की शाम की कक्षाओं में पढ़े तो उसे भी वजीफा मिल सकता है।
- जो विद्यार्थी अंतिम कक्षा में फेल हुआ हो, उसे वजीफा नहीं दिया जाता।
- पंजाब सरकार के किसी अन्य विभाग या संस्थान से ऐसा ही लाभ लेने पर भी बोर्ड का वजीफा बंद नहीं होता।

दस्तावेज़

- बच्चे के स्कूल या कॉलेज का प्रमाण पत्र, जो बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड होता है

आवेदन कैसे करें

1. पहले बोर्ड में पंजीकरण कराएं। पिछले 12 महीनों में पंजाब में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य करने वाला 18 से 60 वर्ष का श्रमिक आवेदन पत्र संख्या 28 भरकर पंजीकरण शुल्क जमा करता है।
2. अपने नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन दें, या अपने क्षेत्र के श्रम निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, श्रम-सह-सुलह अधिकारी या सहायक श्रम आयुक्त से मिलें।
3. बच्चे के स्कूल या कॉलेज से मिला प्रमाण पत्र बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://bocw.punjab.gov.in/index.aspx?id=Welfare%20Schemes&Data=38&scheme=stipend
आधिकारिक आवेदन: https://bocw.punjab.gov.in/
आधिकारिक PDF: https://bocw.punjab.gov.in/userfiles/file/Scheme%20Forms/BOCW%20Schemes%20in%20English%20Final2.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/punjab/pb-bocw-children-stipend/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।